बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A022-20232024-128-1-22-4-2024-1795189

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023 24 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागारों के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रु० 80.00 लाख से समलघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागारों के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगित व्यय में रू0 10.00 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू0 70.00 लाख में प्रस्तावित पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001 010300 (समस्त कारागार)	01 (वेतन)	4,95,52,59,000 रुपये चार अरब पंचानबे करोड़ बावन लाख उनसठ हजार मात्र	2,82,00,000 रुपये दो करोड़ बयासी लाख मात्र	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	4,95,12,59,000 रुपये चार अरब पंचानबे करोड़ बारह लाख उनसठ हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 80,00,000	₹ 40,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	49 (चिकित्सा व्यय)	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	6,40,00,000 रुपये छह करोड़ चालीस	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
						लाख मात्र	
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	23,00,000 रुपये तेईस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	0	23,00,000 रुपये तेईस लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 80,00,000	₹ 40,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2978/बजट अनुमान, दिनांक 31.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023 24 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागारों के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रु० 80.00 लाख से समलघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागारों के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगित व्यय में रू0 10.00 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू0 70.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 80.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31-01-2024 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तो के अधीन रू0 40.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी है, जिसे संलग्न कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कर लिया जायेगा।

(4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में महानिरीक्षक, कारागार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा प्रश्नगत सेवाओं के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियम एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(5) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150,151 व 154 में विनिर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-549-E-12-550-X-2023-24-दिनांक:06-03-2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

मदन मोहन त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या:24/2024, दिनांक-12 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल-आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।